भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1695

उत्तर देने की तारीख 21 सितंबर, 2020 (सोमवार)

30 भाद्रपद, 1942 (शक)

केन्द्रीय □केज और एन.आई.आई.डी.एस.

1695. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः
श्री परबतभाई सवाभाई पटेलः
श्रीमती गीताबेन वी. राठवाः
श्री नारणभाई काछड़ियाः
श्री शान्तनु ठाकुरः

क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय पैकेज और उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास योजना (एन.ई.आई.□ी.एस.) 2019 के अंतर्गत चिह्नित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में वित्तीय परिव्यय के ब्यौरे सहित उक्त योजना में से प्रत्येक के अंतर्गत चिह्नित की गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित की है ताकि इस क्षेत्र में काम पर लगे लोगों को लाभ शीघ्र मिल सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(□ॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआई□ीएस) 2017 का कार्यान्वयन उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (□ीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। एनईआई□ीएस के मुख्य घटक हैः (1) ऋण उपलब्धता के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश लाभ (सीसीआईआईएसी), (2) केंद्रीय ब्याज लाभ (सीआईआई), (3) केंद्रीय विस्तृत बीमा लाभ (सीसीआईआई), (4) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रतिपूर्ति, (5) आय कर (आईटी) प्रतिपूर्ति, (6) परिवहन लाभ (टीआई), और (7) रोजगार लाभ (ईआई)।

इस स्कीम का उद्देश्य औद्योगिकीकरण का संवर्धन तथा रोजगार को बढ़ावा देना और आय का सर्जन करना है। एनईआई□एस, 2017 के तहत लाभ लेने की इच्छुक विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की इकाइयों को □पीआईआईटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होता है। समिति, पंजीकरण/सैद्धांतिक अनुमोदन का निर्णय लेती है जो अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक इकाई की प्रत्यक्ष पात्रता, बजट की उपलब्धता पर विचार करती है और राज्य सरकार की अनुशंसा पर स्कीम के तहत पंजीकरण के लिए पात्रता का निर्णय लेती है। एनईआई□एस, 2017 के तहत वर्ष 2020-21 के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 6 औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों को उनकी राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित किया गया है।

एमएसएमई मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन नामक एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है जो नए मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और विद्यमान केंद्रों के आधुनिकीकरण, नए और विद्यमान औद्योगिक संपदाओं के विकास तथा एमएसएमई के विकास तथा संवर्धन के लिए कार्यरत अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न घटकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय बो□लैं□ प्रादेशिक परिषद (बीटीसी), दीमा हासाओ स्वायत्त प्रादेशिक परिषद (□ीएचएटीसी) और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद (केएएटीसी) के लिए विशेष विकास पैकेजों का कार्यान्वयन करता है। इनकी स्थिति निम्नानुसार हैः

750.00 करोड़ रुपए के बीटीसी पैकेज के तहत 711.19 करोड़ रुपए की राशि की निर्मुक्ति की गई है। 570.19 करोड़ रुपए लागत की 51 परियोजनाएं पहले ही पूर्ण हो चुकी हैं। 350.00 करोड़ रुपए के केएएटीसी पैकेज के तहत 349.97 करोड़ रुपए लागत की 32 परियोजनाएं चिह्नित की गई हैं जिनके लिए 95.71 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। 6.26 करोड़ रुपए लागत की 2 परियोजनाएं पहले ही पूर्ण हो गई हैं। □ीएचएटीसी के लिए 200.00 करोड़ रुपए के विशेष विकास पैकेज के तहत 199.82 करोड़ रूपए लागत की 15 परियोजनाएं चिह्नित की गई हैं जिनके लिए 98.51 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

*****